


(13)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर कंड पीठ रोवा
R. 5/252-115 जिला रोवा म०५०



श्री सेतोष कुमार युगवाद्य
रजस्व मण्डल
21-10-15

21-10-15
AR

सत्यनारायण चौरस्थिता तन्ध रामललावन चौरस्थिता
उम्र 47 साल निवासी ग्राम गंज धाना व तहसील
मउमंज जिला रोवा म०५० अधिवक्/निगरानीकर्ता

बनाम

- 1: महादेव चौरस्थिता उम्र 45 साल
- 2: रामदिना चौरस्थिता उम्र 42साल
- 3: रामनिचय चौरस्थिता उम्र 40 साल
- 4: रमेश कुमार चौरस्थिता उम्र 35 साल

सभी के पिता रामललावन चौरस्थिता सभी निवासी
ग्रामगंज धाना व तहसील मउमंज जिला रोवाम०५०

अधिवक्/निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 17/8/2015
राजस्व अपील क्रमांक 190अ6/2009-10
श्री मान अनुबिभागीय अधिकारी मउमंज
अन्तर्गत धारा 50 म०५०भू राजस्व अधिनियम
1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:

1: यह कि निगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

श्री मान तहसीलद्वारा साह तहसीलमउमंज द्वारा


479
21-10-15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

5/25-II/15
मामला क्र०-R. 125-II/15

जिला-रीवा

सत्यनारायण चौरसिया / महादेव चौरसिया

(1)	(2)	(3)
01.02.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	